न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (डीग) राज0

पीठासीन अधिकारी सुनीता यादव आर0ए0एस

मुकदमा नं0 48 / 2019

1. मुकेश पुत्र नेमसिंह जाति लोधा निवासी बुरानी तहसील पहाडी
2. सरोज पुत्री नेमसिंह पत्नी स्व0 चन्दन सिंह जाति लोधा निवासी बुरानी हाल आबाद लोधा पाडा डीग राज0।

प्रार्थीगण

बनाम

1. नेम सिंह पुत्र रामजीलाल जाति लोधा निवासी बुरानी तहसील पहाडी हाल आबाद मकान नं0 34 पी0पी0 नगर सिकन्दरा के पास आगरा उ0प्र0।
2. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट

1. श्री यशपाल सैनी वकील प्रार्थीगण
2. श्री सतीश शर्मा वकील अप्रार्थी संख्या 1

दिनांक :–29 / 04 / 2024

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 280 / 0.74, 282 / 0.66, 317 / 38 / 0.07, 319 / 38 / 0.11, 360 / 209 / 0.20, 63 / 1 / 0.27 हैक्टर किता–6 रकबा 2.05 हैक्टर बांके ग्राम बुरानी तहसील पहाडी में स्थित है। पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य है तथा अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीगण के खास पिता है। आराजी मुतदाविया पैत्रिक सम्पत्ति है जो प्रार्थीगण के दादा रामजीलाल के कब्जे काश्त व खातेदारी का रकबा था प्रार्थीगण के दादा का स्वर्गवास होने के उपरान्त आराजी तीनों पुत्र प्रार्थीगण को वाहिस्सा बराबर विरासत में प्राप्त हुई जिसे अपने–अपने हिस्से के पिता नेमसिंह , जहान सिंह, गोविन्द सिंह के मुताबिक काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण के पिता नेमसिंह की शादी कमला के साथ हिन्दू रीति रिवाज के मुताबिक सम्पन्न हुई जिसके नुत्फे से एक पुत्र प्रार्थी मुकेश और एक पुत्री प्रार्थी संख्या 2 सरोज पैदा हुये। प्रार्थीगण की माँ कमला का सन 1982 में स्वर्गवास हो गया था प्रार्थीगण की माँ कमला के स्वर्गवास होने के उपरान्त प्रार्थीगण के पिता अप्रार्थी संख्या 1 नेमसिंह ने प्रतिवादी संख्या 2 ओमा से शादी करली जिससे दो सन्ताने पुत्र गौरव, और पुत्री कीर्ति पैदा हुई । इस प्रकार प्रार्थीगण और दूसरी पत्नी से पैदा सन्ताने अप्रार्थी संख्या 1 की वैंधानिक वारिस

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

Scanned with OKEN Scanner

है आराजी मुतदाविया के 1/3 हिस्सा का पिता के साथ रहकर वाहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है और आज भी मौके पर प्रार्थीगण का अप्रार्थी संख्या 1 नेमसिंह के निस्फ हिस्से पर कब्जा काश्त है। लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के स्थान पर अप्रार्थी संख्या 1 के नाम सम्पूर्ण रकबे का खातेदारी का इन्द्राज गलत इन्द्राज हो रहा है। प्रार्थीगण उक्त गलत इन्द्राज को कलमजन कराकर अपने आपको हिस्सा नेमसिंह पर 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने का अधिकारी है। आराजी के 1/3 हिस्से की बाबत अप्रार्थी संख्या 1 जो प्रार्थीगण का पिता है के नाम खातेदारी का इन्द्राज दर्ज हो रहा है जिसके आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 के दिल में बदयान्ती आ गई है और प्रतिवादी संख्या 2 के बहकावे में आकर अपनी पहली पत्नी से पैदा सन्तान प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि को नाजायज रूप से रखना चाहता है तथा उक्त भूमि को अन्य दीगर जगह रहन वय मुन्तकिल करना चाहता है। अपनी दूसरी पत्नी से पैदा सन्तानो गौरव व कीर्ति के नाम अलग से जमीन खरीदना चाहता है। जिसकी धमकी दिनांक 15/06/2015 को स्पष्ट शब्दों में दी है अगर अप्रार्थी नम्बर 1 अपनी धमकी भरे इरादे में कामयाब हो गया तो प्रार्थीगण को अपरमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति जर्रे नकद से कदापि संभव ना हो सकेगी। प्राईमा फैसाई केस सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति हम प्रार्थीगण के पक्ष में प्रकट होती है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 को पाबन्द फरमाया जावे कि वे विवादित आराजी के किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे दीगर व्यक्तियों को रहन वय मुन्तकिल ना करे राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 मय वकील न्यायालय में उपस्थित आया। जबाब प्रार्थना पत्र पेश ना करने के कारण दिनांक 12/10/2023 को जबाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 1 बन्द किया गया।

बहस वकील प्रार्थीगण सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया ।

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरणः–** प्रथम दृष्टया प्रकरण में विवादित आराजी अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की आराजी है परन्तु प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 एवं अप्रार्थी संख्या 1 आपस में पिता पुत्र/पुत्री है। प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 के वारिस है आराजी पैतृक होने के कारण प्रार्थीगण का उक्त आराजी में हित निहित है यदि अप्रार्थी संख्या 1 आराजी को खुर्द बुर्द (बेचान) करता है तो प्रार्थीगण को अपरमित क्षति होगी। अतः उपर्युक्त विवेचन से प्रथम दृष्टया प्रकरण अप्रार्थी संख्या 1 की अपेक्षा प्रार्थीगण में निहित है।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

Scanned with OKEN Scanner

2. **सुविधा सन्तुलन** :– प्रथम दृष्टया प्रकरण में विवादित आराजी अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की आराजी है परन्तु प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 एवं अप्रार्थी संख्या 1 आपस में पिता पुत्र/पुत्री है। प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 के वारिस है आराजी पैतृक होने के कारण प्रार्थीगण का उक्त आराजी में हित निहित है यदि अप्रार्थी संख्या 1 आराजी को खुर्द बुर्द (बेचान) करता है तो प्रार्थीगण को अपरमित क्षति होगी। अतः सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण में ही निहित है।
3. **अपूरणीय क्षति** :– प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थी संख्या 1 की अपेक्षा प्रार्थीगण में निहित है। अतः अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीगण को ही होगी।

प्रथम दृष्टया प्रकरण , सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति अप्रार्थी संख्या 1 की अपेक्षा प्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट स्वीकार किया जाता है। इस न्यायालय द्वारा जारी टी0आई0 दिनांक 16/06/2015 को ताफैसला मूल वाद कन्फर्म किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29/04/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (डीग).

Scanned with OKEN Scanner